No.A-12018/1/2015-EA
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi.
Date : 17 .2.2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment in Recruitment Rules for the posts of Assistant Library and Information Officer **and** Library and Information Assistant in Directorate of Economics & Statistics (DES)–regarding.

The draft Recruitment Rules for the posts of Assistant Library and Information Officer **and** Library and Information Assistant in Directorate of Economics & Statistics are uploaded with the request that comments, if any, from all the stakeholders on these may kindly be sent to the Under Secretary, Economic Administration Division, DAC&FW / e-mail id: abhijit.69@nic.in or np.mathur61@nic.in within 30 days from the date of uploading of this OM.

Encl.: As above.

17.2.17

(Abhijit Chakraborty)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23387962

Copy to:

1. Chief Administrative Officer, Directorate of Economics & Statistics, Shastri Bhawan, New Delhi - A copy of draft RRs on the aforementioned post is enclosed with a request to upload the draft RRs in their official website.
2. NIC, DAC&FW with the request to upload the above OM along with draft RRs for the posts of Assistant Library and Information Officer **and** Library and Information Assistant in Directorate of Economics & Statistics, DAC&FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

20-2-2017

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION(i)]

Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Notification

New Delhi, the ....2017.

G.S.R.........- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, **Assistant Library and Information Officer** and **Library and Information Assistant** (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Assistant Library and Information Officer** and **Library and Information Assistant** in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, **Assistant Library and Information Officer** and **Library and Information Assistant** (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection or Non-Selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Assistant Library and Information Officer	01*(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs.44900-142400)	Selection	Not applicable	Not applicable.	Age: No Educational Qualifications: No, but must possess Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute.

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption Grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion failing which by deputation including Short-Term Contract.	**Promotion:** Library and Information Assistant in the level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Information Science as prescribed by the Department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short-Term Contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:- (A) (I) holding analogous posts on regular basis; or (II) with five years' service in the post in the level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Adviser, Directorate of Economics and Statistics – Chairman; (2)Additional or Deputy Adviser, Directorate of Economics and Statistics – Member; (3) Chief Administrative Officer, Directorate of Economics and Statistics – Member; (4) Under Secretary (Economic Administration Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		Essential: (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute. (ii) Two years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institute. **Desirable:** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University or Training Institute. (ii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. (iii) Economics as one of the subject at Degree level. **Note-1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note-3:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Library and Information Assistant	02*(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 6 (Rs.35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. **NOTE-1:** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **NOTE-2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	**Essential:** (I) Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute (II) Two years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or University or Recognized Research or Educational Institute. **Desirable:** (I) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. (II) Economics as one of the subject at Degree level. **NOTE 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Committee or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By Direct Recruitment **NOTE:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with six years service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent after appointment thereto on regular basis; and (B) Possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under Column (7). **NOTE:** Period of deputation (including Short-Term Contract) including period of deputation (including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short-Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** (1) Adviser, Directorate of Economics and Statistics – Chairman; (2) Additional or Deputy Adviser, Directorate of Economics and Statistics – Member; (3) Chief Administrative Officer, Directorate of Economics and Statistics – Member; (4) Under Secretary (Economic Administration Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No.A.12018/1/2015-EA]

(Abhijit Chakraborty)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, भाग-2 खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2017

सा.का.नि...........- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी **और** पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पदों के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी **और** पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदिः उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ख ', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 7 (रु. 44900-142400)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयुः नहीं । शैक्षिक अर्हताएं: नहीं । किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री ।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रू. 35400-112400) और उसी स्तर में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो और निर्धारित पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 2/4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :** 1. सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय- अध्यक्ष 2. अपर या उप सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - सदस्य 4. अवर सचिव (आर्थिक प्रशासन प्रभाग), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी जो - क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रू. 35400-112400) या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्निलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संगठन या लोक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वांछनीय:** (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (iii)डिग्री स्तर पर अर्थशास्त्र मुख्य विषयों में से एक । **टिप्पण -1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पण -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण -3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ' ख ' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (रू. 35400-112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक । **टिप्पण 1 :-** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के मामले में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक:** (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (II) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठन या लोक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव। **वांछनीय:** (I)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। (II)स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र । **टिप्पण-1:** अर्हताएं, अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के

						लिए, जो लेखबद्ध किये जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय लेगी कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा** **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात :- क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु.29200-92300) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ .7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों **टिप्पण**: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी	लागू नहीं होता

		अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - अध्यक्ष 2. अपर या उप सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय - सदस्य 4. अवर सचिव (आर्थिक प्रशासन प्रभाग), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(फा.सं. ए-12018/1/2015-आ.प्र.)

(अभिजीत चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार